न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री सुशील कुमार सैनी (आर॰ए॰एस॰)

जीसीएमएस नं. 2025/347
मुकदमा नम्बर 97/2025 दर्ज दिनांक– 19.06.2025

मुरलीधर उर्फ मूलाराम पुत्र बंशीधर जाति भार्गव निवासी परसरामपुरा, तहसील नवलगढ जिला झुंझुनू
—आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़
—अनावेदक

वकील आवेदक : – श्री संदीप सैनी
वकील अनावेदक :– पैरा. राज.

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट</u>

:: आदेश :: निर्णय दिनांक 10.09.2025

प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, ग्राम परसरामपुरा पटवार हल्का परसरामपुरा की सरहद में भूमि खाता सं. नया 658 पुराना 367 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 4022/3951 रकबा 0.0350 है0,खसरा नं. 4027/3949 रकबा 0.1850 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.22 है0 भूमि के राजस्व रिकार्ड में आवेदक का नाम मुरलीधर पुत्र बंशीधर के स्थान पर मूलाराम पुत्र बंशीधर दर्ज किया जावे।

प्रा. पत्र पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदक कि जारी की गई। अनावेदक की और से जरिये पैरो. राज. उपस्थित हो किसी प्रकार उजर एतराज जाहिर नही किया।

बहस प्रा. पत्र पेश होने पर बगौर सुनी गई।

लिहाजा आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र तथा प्रस्तुत दस्तजावेजों की छाया प्रति के आधार पर पोषणीय व न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम परसरामपुरा पटवार हल्का परसरामपुरा की सरहद में भूमि खाता सं. नया 658 पुराना 367 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 4022/3951 रकबा 0.0350 है0,खसरा नं. 4027/3949 रकबा 0.1850 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.22 है0 भूमि के राजस्व रिकार्ड में आवेदक का नाम मुरलीधर पुत्र बंशीधर के स्थान पर मूलाराम पुत्र बंशीधर, दुरूस्त किया जाकर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार नवलगढ राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। तहसीलदार नवलगढ़ को पृथक से तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय/आदेश आज दिनांक 10.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)RAS
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुंझुनू